क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470,यू.सी.सी.आई. भवन के पास,मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)

ई–मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

क्रमांकः–एफ–3(2)राप्रनिम / स्टोर / 26–27 / 1048–1050 दिनांक 16/7/26

01 / 2026–2027 नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,उदयपुर परिसर में अनुपयोगी, अप्रचलित नकारा घोषित प्रयोगशाला उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदी की नीलामी खुली बोली द्वारा की जावेगी। नीलामी योग्य उपरोक्त साम्रगी का अवलोकन सूचना प्रकाशित दिनांक से नीलामी दिनांक तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में आकर किया जा सकता है:–

क.सं.	समान का विवरण	पुस्तक मुल्य	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	नीलामी दिनांक एवं समय
1.	प्रयोगशाला उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदी। **(जहाँ है जैसा है)**	8,64,474	17,290	4.नीलामी दिनांकः– 31/07/2026 5.धरोहर राशि जमा कराने का समय दोपहर 11:00 बजे तक 6.नीलामी समय दिनांक 31/7/26 समय दोपहर 2 बजे तक

इच्छुक E-Waste recyclers/Processing Unit जिनके पास इस प्रकार की साम्रगी के एकत्रीकरण एवं निस्तारण करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण से जल / वायु अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वैध सम्मति पत्र एवं E-Waste Rules के तहत प्राप्त वैध सम्मति तथा प्राधिकर पत्र हो, निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी में भाग लेने हेतु धरोहर राशि बोली लगाने से पूर्व मोंके पर ही नकद या डीडी (जो कि सदस्य सचिव,राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भुगतान योग्य उदयपुर के नाम हो)के रूप में जमा करानी होगी। नीलामी हेतु अन्य शर्त कार्यालय समय में आकार देखी जा सकती है। उच्चतम बोलीदाता को सामान उठाने से पूर्व सामान की पूर्व बोली राशि व उस पर नियमानुसार अधिरोपित जी.एस.टी. की राशि जमा कराने के पश्चात उसी दिन सामान **"जहां है जैसा है,"** उसी स्थिति में उठाना होना। नीलामी प्रकिया में किसी प्रकार के संशोधन व वाद विवाद की स्थिति में नीलामी समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा। नीलामी में भाग लेने हेतु जल / वायु अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वैध सम्मति एवं E-Waste Rules के तहत वैध प्राधिकार पत्र,जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन पेन कार्ड की प्रति एवं एक आईडी के साथ स्वंय बोलीदाता कां उपस्थित रहना अनिवार्य होना। विस्तृत विवरण राज्य की वेबसाइट (https //environment. rajasthan.gov.in/rpcb) पर भी उपलब्ध है।

(विनय कट्टा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ: 470,यू.सी.सी.आई. भवन के पास,मेवाड़ औधोगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)
ई–मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

RPCB/RO:U/UDR/1048–1050 Date: 16/7/25

–: खुली बोली हेतु नीलामी हेतु नियम एवं शर्ते :–

1. बोली दाता के पास इस प्रकार की सामग्री के एकत्रीकरण एवं निस्तारण करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल/वायु अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वैध सम्मति पत्र एवं E-Waste Rules के तहत प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र का होना अनिवार्य है, इसके अभाव में बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी।
2. नीलामी स्थल पर प्रत्येक बोली लगाने वाले E-Waste recyclers/Processing units को बोली लगाने से पहले उल्लेखित 02 प्रतिशत धरोहर राशि **नकद या डीडी (जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भुगतान योग्य उदयपुर के नाम हो)** के रूप में जमा करानी होगी।
3. बोलीदाता को E-Waste recyclers का जल/वायु अधिनियम क प्रावधानों के अन्तर्गत वैध सम्मति पत्र एवं E-Waste Rules के तहत प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, पेनकार्ड एवं आई. कार्ड की छाया प्रतियां बोली से पूर्व जमा करानी होगी।
4. असफल बोली लगाने वालों को उक्त धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के बाद या बोली लगाने वाला जब इसे वापस लेना चाहे, लौटा दी जावेगी। सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में धरोहर राशि उसके द्वारा देय अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि के विक्रयच मूल्य में समायोजित कर ली जावेगी।
5. एक बार बोली समाप्त होने पर अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नही की जावेगी और ना ही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकेगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को सम्पूर्ण बोली राशि मय जी.एस.टी. बोली समाप्ति पश्चात उसी दिवस को डी.डी. के रूप में जो कि **सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भुगतान योग्य उदयपुर के नाम से हो** जमा करवानी होगी एवं सामान को भी उसी दिन उठाना होगा।
7. बोली समाप्ति पश्चात उसी दिवस में राशि जमा नही करवाने पर 1000/– रूपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना देय होगा।
8. अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि सामग्री जहाँ है, जैसा है उसी हालात में नीलाम किया जावेगा। अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित इस सामग्री को नीलामी के पश्चात उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर उत्तरदायी नही होगा।
9. विक्रय मूल्य के अतिरिक्त सरकार द्वारा नियमानुसार, अधिरोपित समस्त करों (जीएसटी आदि) का भी भुगतान सफल बोलीदाता के द्वारा किया जावेगा।
10. राज्य मण्डल का कोई भी वर्तमान एवं पूर्व कार्मिक बोली में भाग नही ले सकेगा।
11. बिना कारण बोली स्वीकार करने या अस्वीकार करने, बोली को स्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
12. उक्त शर्तो के सम्बन्ध में किसी भी सन्देह का समाधान/खुलासे हेतु नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
13. इच्छुक बोलीदाता नीलामी तिथि से पूर्व यदि सामान का अवलोकन करना चाहे तो कार्यालय समय में भण्डारपाल से सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते है।
14. इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार उदयपुर होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर

आगामी नोटिस निम्नलिखित स्थानों पर चस्पा कर सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय सम्भागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर –सम्भाग, उदयपुर।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्टर महोदय, जिला उदयपुर।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड, रा. प्र. नि. मं. उदयपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर